20/10/23 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वादी एवं प्रतिवादी के मध्य, (इन्द्राज [illegible]) राजीनामा मुताबिक वादी की ओर से वाद पर स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली वाद फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। तहसीलदार लालसोट को इस आशय की तहरीर जावे हो।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)

फर्द अहकाम

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)

न्यायालय उपजिला कलेक्टर लालसोट, जिला दौसा

अज अदालत उपजिला कलेक्टर मुकाम लालसोट, जिला दौसा रामसिंह बनाम मु० काली आदि
मु० नं० ....30.... सन् 2019.......

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही	तफ्सील
20-10-2023	पत्रावली प्रस्तुत हुई। वादी की ओर से श्री के० के० सैनी अधि० उप० प्रतिवादी की ओर से श्री पी० पी० चौधरी अधि० उप०। प्रकरण में वादी की ओर से प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसमें हस्तगत प्रकरण से संबंधित भूमि ख० नं० 349 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा वाकै ग्राम इन्दावा तहसील लालसोट जिला दौसा से संबंधित माननीय सिविल न्यायालय लालसोट में राजीनामें से प्रकरण का निस्तारण हो चुका है जिसकी प्रतियां भी पेश की गई तथा मुताबिक राजीनामा प्रकरण का मुताबिक अनुतोष वादी के हक में डिक्री करने का निवेदन किया गया। प्रतिवादी अधि० को प्रार्थना पत्र की नकल दी जा चुकी है। प्रतिवादी अधि० द्वारा प्रार्थना पत्र सहमति जाहिर की गई एवं माननीय सिविल न्यायालय मे भी राजीनामा अनुसार लोक अदालत में निस्तारित होने को स्वीकार किया जाकर वादी का वाद मुताबिक अनुतोष वादी के हक में निर्णित करने में अनापत्ति की गई। मैने उभय पक्षो को सुना गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं मनन किया गया जिससे सिविल न्यायालय मे इसी भूमि व इन्ही पक्षकारो के मध्य राजीनामा होना एवं मुताबिक राजीनामा प्रकरण का निस्तारण हो जाना प्रतीत होता है इसलिये प्रार्थना पत्र वादी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी रामसिंह की ओर से वादपत्र बाबत् अधिघोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर आराजी ख० नं० 349 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि वाकै ग्राम इन्दावा तहसील लालसोट जिला दौसा का वादी रामसिंह को खातेदार काबिज काश्तकार घोषित किया जाता है साथ हि प्रतिवादीगण को उक्त भूमि में वादी को सुधार व विकास कार्य करने कराने	

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)

से बाधा नही करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। तहसीलदार लालसोट को पालना हेतु निर्णय व डिक्री की प्रति के साथ तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20/10/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली में अब कोई कार्यवाही शेष नही है। अतएव बाद क्षतिपूर्ति नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

(नरेन्द्र मीना RAS)
उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा